आदेश क्रमांक / तिथि Order No./Date	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर Order and Signature of Officer	आदेश की गयी कार्रवाई तिथि सहित Action taken on order with date.

पत्रांक–1355/डी0सी0बी0
वरीय पुलिस अधीक्षक का कार्यालय, रॉची।

रॉची, दिनांक–19/08/18

रॉंची समाहरणालय
पत्र प्राप्ति एवं प्रेषण शाखा
20 AUG 2018

प्रेषक,

वरीय पुलिस अधीक्षक,
रांची।

सेवा में,

उपायुक्त सह–जिला दंडाधिकारी,
रांची।

प्रसंगः– पुलिस उपाधीक्षक मु0–द्वितीय, रांची के कार्यालय का ज्ञापांक–618/18, दिनांक–18.08.2018

विषयः– अपराधकर्मी जमशेद अंसारी उर्फ बबलु अंसारी, पे0–ईशलाम अंसारी, सा0–सिमलिया, हाजी चौक, थाना–रातु जिला–रांची के विरूद्ध झारखण्ड अपराध अधिनियम–2002 अंगीकृत की धारा–3(1)(a),3(1)(b) के तहत् रातु थाना में उपस्थिति दर्ज करवाने हेतु आदेश पारित करने के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि पुलिस उपाधीक्षक मु0–द्वितीय, रांची के कार्यालय का ज्ञापांक–618/18, दिनांक–18.08.2018 के द्वारा अभ्यावेदन समर्पित किया गया है कि अपराधकर्मी जमशेद अंसारी उर्फ बबलु अंसारी, पे0–ईशलाम अंसारी, सा0–सिमलिया, हाजी चौक, थाना–रातु जिला–रांची जो वर्तमान में जेल से बाहर है। ये नीचे लिखे पूर्व प्रतिवेदित कांड में आरोपित हैः–

1. रातु थाना सनहा सं0–22/18, दिनांक–17.08.2018

उल्लेखनीय है कि ये जमशेद अंसारी उर्फ बबलु अंसारी, पे0–ईशलाम अंसारी, सा0–सिमलिया, हाजी चौक, थाना–रातु जिला–रांची एक अपराधकर्मी है। इनका मुख्य पेशा चोरी छिपे मवेशियों को काटकर प्रतिबंधित मांस की बिकी करना है। इन्हें इस कार्य को रोकने के लिए थाना प्रभारी रातु के द्वारा नोटिस देकर इस कार्य को बन्द करने का निर्देश दिया गया था, परन्तु इनके द्वारा यह कार्य किया जा रहा है। जिससे आस पास के क्षेत्रों में शांति–व्यवस्था पुरी तरह से प्रभावित रह रही है। आसूचना संकलन के कम में भी सूचना प्राप्त हुई है कि इनके घरों में भी कुछ संदिग्ध व्यक्तियों का आना–जाना अक्सर लगा रहता है, जिससे आम जनता के बीच भय का माहौल बना हुआ है। इसके लिए इनको प्रत्येक दिन थाना पर हाजिरी करा कर निगरानी रखना अति आवश्यक प्रतीत होता है। जिससे आम जनता में दहशत का माहौल नियंत्रित हो सके तथा आम लोगों का मनोबल ऊँचा होने के साथ–साथ अपराधिक घटनाओं में भी कमी आयेगी। इनके आपराधिक कृत्यों को रोकने तथा लोक–शांति बरकरार रखने के लिए अपराध नियंत्रण अधिनियम के अन्तर्गत इनके विरूद्ध कार्रवाई करने से आम जनों के बीच दहशत का माहौल कम होगा, अपराध नियंत्रित होगा आम जनता का मनोबल ऊँचा रहेगा, जो रातु थाना क्षेत्र के अलावे रांची शहर में लोक/शांति व्यवस्था बनाये रखने में सहायक सिद्ध होगा।

Digitally signed by RAHUL KUMAR SINHA
Date: 2024.02.09 23:56:37 -08:00
Location: 192.168.1.4